संख्या: 05/2021/210/छप्पन-2021-11/2013

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. जिलाधिकारी,
अयोध्या।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2021

विषय: अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए अतिरिक्त भूमि का क्रय किए जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री**,** उत्तर प्रदेश द्वारा की गई घोषणा के क्रम में अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए अतिरिक्त भूमि का क्रय किए जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 25 जनवरी, 2021 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(1) आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या के पत्र संख्या- आर.ए.द्वितीय/आठ-1(19-20) 813 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा संस्तुत प्रस्तावानुसार अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने एवं अनुषांगिक कार्यों हेतु कुल 08 ग्राम जनौरा (बा0न0पा0), गंजा, धर्मपुर सहादत, फिरोजपुर, कुशमाहा, सरेठी, पूरा हुसैन खां एवं नन्दापुर की 233.494 एकड़ भूमि के क्रय के लिए अनुमानित लागत लगभग रू0 4,21,99,50,720/- (रूपए चार अरब इक्कीस करोड़ निन्यानवे लाख पचास हजार सात सौ बीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ व्यय किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) आपसी समझौते के आधार पर भूमि के क्रय की नीति विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा विहित व्यवस्था के अनुसार अन्तिम रूप से ऑकलित भूमि को क्रय किए जाने तथा क्रय की गई भूमि को ''श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0'' के नाम दर्ज किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(3) राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा विहित व्यवस्था के अनुसार भूमि क्रय करने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में अवशेष भूमि को ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न शासकीय विभागों की परिसम्पित्तयों यथा वृक्षों, सड़कों, नहरों, बिजली के खम्भों, विद्युत लाइन्स, सब-स्टेशनों, विद्यालयों, ऑगनवाड़ी केन्द्रों इत्यादि तथा विभिन्न अवरोधों के विस्थापन, डायवर्जन तथा नव-निर्माण से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किए जाने तथा शासकीय विभागों द्वारा अपनी भूमि एवं परिसम्पत्तियॉ इत्यादि नि:शुल्क रूप से नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध कराए जाने/अन्तरित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(5) शासन के पत्र संख्या-1244/छप्पन-2020-11/2013 दिनांक 29 जुलाई, 2020 द्वारा अतिरिक्त धनराशि रू0 14,74,96,000/- (रूपए चौदह करोड़ चौहत्तर लाख छियानवे हजार मात्र) पर प्रदान किए गए विनिश्चय/अनुमोदन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(6) शासन के पत्र संख्या:2228/छप्पन-2020-11/2013 दिनांक 26 नवम्बर, 2020 द्वारा अतिरिक्त धनराशि रू0 10,28,50,800/- (रूपए दस करोड़ अठ्ठाइस लाख पचास हजार आठ सौ मात्र) पर प्रदान किए गए विनिश्चय/अनुमोदन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(7) शासन के पत्र संख्या-1082/छप्पन-2020-11/2013 दिनांक 29 जुलाई, 2020 द्वारा धनराशि रू0 24,33,81,619.00 (रूपए चौबीस करोड़ तैंतीस लाख इक्यासी हजार छ: सौ उन्नीस मात्र) पर प्रदान किए गए विनिश्चय/अनुमोदन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(8) आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या के पत्र संख्या- आर.ए.द्वितीय/आठ-1(19-20) 813 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 द्वारा संस्तुत प्रस्तावानुसार अयोध्या एयरपोर्ट के प्रथम चरण के विकास हेतु ग्राम धर्मपुर सहादत की चिन्हित भूमि के अन्तर की धनराशि रू0 4,48,96,720/-(रूपए चार करोड़, अड़तालीस लाख, छियानवे हजार, सात सौ बीस मात्र), पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(9) परिचालन और सुरक्षा कर्मियों के लिए आवासीय क्षेत्र के विकास के लिए हवाई अड्डे के पास 15 एकड़ भूमि के भविष्य में क्रय किए जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(10) परियोजना में किसी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन की स्थिति में निर्णय लेने हेतु तथा अन्य सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में भविष्य में यथावश्यकतानुसार निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- अत: मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मंत्रिपरिषद के उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
सचिव

पृ0सं0- 05/2021/210(1)/छप्पन-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/गृह/राजस्व/ग्राम्य विकास/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/आवास एवं शहरी नियोजन/ नगर विकास/लोक निर्माण/सिंचाई एवं जल संसाधन/बाल विकास एवं पुष्टाहार/महिला कल्याण/ऊर्जा/पंचायती राज/सहकारिता/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/पर्यटन/धर्मार्थ कार्य/उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णयानुसार भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।